

## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-सिवनी (म.प्र)

:: आदेश ::

(वाहन टायर- पंचर दुकान की अनुमति)

क्रमांक/ 2230 /एस.डब्लू./2020

सिवनी, दिनांक 30/03/2020

कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये इसके आवश्यक उपाये किये जाने हेतु सिवनी जिले मे आमजन की सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से प्राप्त आवेदन अनुसार निम्नानुसार दो पाहिया एवं चार पाहिया वाहन के पंचर आदि संबंधी सेवाओ हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिकृत किया जाता है जन सामान्य अधिकृत किये गये व्यक्तियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर सेवाये प्राप्त कर सकते है।

क्र.	नाम	स्थान	मोबाईल नं.
1	एमएचकेएस पेट्रोल पम्प	सिवनी	7582078644
2	शेख जलील	रिलायंस पेट्रोल पंप सिवनी	9630267387
3	नवीन चकरानी	पाल पेट्रोल पंप के पास सिवनी	7987473873
4	अरुण भांगरे	मुंगवानी रोड भैरोगंज सिवनी	9713971038
5	मनीष पंचरवाला	फिल्टर चौक सिवनी	72238882447
6	बिहारी टायर पंचर	लखनादौन	9425888168
7	जयसवाल टायर वर्क्स	घंसौर	8989512951
8	सुरेश सोनी, अमित सोनी	पुरानी ग्राम पंचायत धूमा	7974261453
9	शमशाद अली	अरिहंत पेट्रोल पंप बरघाट	9713369528
10	मथुरा दुबे	शुभम टायर केवलारी	9424393880
11	अंसारी टायर	चौकसे पेट्रोल पंप के पास छपारा	9340341375
12	जैन साईकिल स्टोर	छपारा	9691994445
13	सोनू बिहार टायर	पंचवटी गनेशगंज	9424716519
14	वीरसिंह यादव	चमारीखुर्द	9424628273
15	जावेद खान वाईपास	छपारा	8871229155
16	गोस्वामी टायर	भीमगढ	8389199108
17	सोमनाथ भलावी	जुवान तिगडडा	6263701590
18	जिलानी टायर वर्क्स	पलारी तिराहा	7354842546
19	सुरेन्द्र विश्वकर्मा	लकवाह	6261041452
20	प्रवेश साहू	गोरखपुर घु.	7828754518

1. उपरोक्तानुसार व्यक्ति दो पाहिया एवं चार पाहिया वाहन टायर /ट्यूब के पंचर सुधार आदि हेतु उचित सेवा शुल्क लेकर सेवाये उपलब्ध करायेगें।
2. उपरोक्त अधिकृत व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा स्वयं की साफ सफाई एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा।
3. अधिकृत व्यक्ति को आदेश की प्रति के साथ अपना फोटोयुक्त आधार कार्ड अपने पास रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश की प्रति पास के रूप में मान्य होगी।


  
(प्रवीण सिंह)  
कलेक्टर

पृ. क्रमांक/2230 /एस.डब्लू./2020

सिवनी,दिनांक 30/03/2020

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस अधीक्षक जिला-सिवनी ।
2. समस्त अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व जिला-सिवनी ।
3. समस्त तहसीलदार जिला-सिवनी ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी जिला-सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित।
5. सर्वसंबंधित ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
(प्रवीण सिंह)

कलेक्टर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला-सिवनी